२९२

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

R 1052-PBR 17

प्रकरण क्रमॉक– /2017

मदनलाल पिता अम्बाराम जाति राजपूत, निवासी–ग्राम मलोडा, तहसील बडनगर,जिला उज्जैन म.प्र. ––––––अपीलार्थी/आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री राहुल सिंह
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 07-3-17
अधीक्षक 07.03.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1.किशनसिह पिता अमरसिह जाति राजपूत,
2.पूरणसिह पिता ऊँकारसिह राजपूत,
3.चैनसिह पिता ऊँकारसिह राजपूत, निवासी गण–ग्राम मलोडा, तहसील बडनगर,जिला उज्जैन म.प्र. ––––––––– उत्तरवादीगण

निगरानी अधीन धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील बडनगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क. 06 अ–13/2016–17 मे पारित आदेश दिनॉक 17/02/2017 जिसके द्वारा उन्होने उत्तरवादी क्र.01 की ओर से प्रस्तुत अंतरिम आवेदन स्वीकार करते हुये यह आदेशित किया है कि ग्राम मलोडा स्थित भूमि सर्वेनम्बर 278 के मध्य भाग मे अपीलार्थी द्वारा उत्तर–दक्षिण लम्बाई के मार्ग मे लगाये गये लोहे के पाईप तथा तार लगा दिये हो तो उन्हे हटाया जाकर मार्ग चालू करवाया जावे। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न तथ्यो के प्रकाश मे प्रस्तुत है –

!! प्रकरण के तथ्य !!

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राधेश्याम यादव द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता कि धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मलोडा तहसील बडनगर स्थित भूमि सर्वेनम्बर 278 के मध्य भाग मे अनावेदक क्र.01 द्वारा उत्तर दक्षिण लम्बाई के मार्ग मे लगाये लोहे के पाईप एंव यदि तार लगा दिये जाते है तो उन्हे हटाकर मार्ग चालू कराये जाने के सबंध मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण मे अनावेदक अभिभाषक श्री गणेश राव द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 32 का उत्तर प्रस्तुत किया गया। धारा 32 मे उल्लेख किया गया है कि भूमि सर्वेनम्बर 280 रकबा–0.65, 515/3 रकबा–0.200, 528/1 रकबा–1.22 ग्राम मलोडा तहसील बडनगर मे स्थित होने बाबत आपत्ति नही तथा उक्त भूमि सिंचित होकर वर्तमान मे लहसन एंव मैथी की फसल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1052-पीबीआर/17 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल विपट उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	